प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2015**

विषय: बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-173-74/बजट-आयोजनागत/2015-16 दिनांक 06.11.2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 22/2015-2457/58-2015-271/2015 दिनांक 02.11.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 3.00 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 28800 हजार (रूपये दो करोड़ अठ्ठासी लाख) मात्र की धनराशि** अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि हजार रुपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	5
राजस्व लेखा 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें- 03-नर्सरी- 0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास-	27-सब्सिडी	30000	28800
	योग-	**30000**	**28800**

(रूपये दो करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त में आहरित धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का व्यय बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास के लिए स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फण्डिग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

6- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

7- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

9- यदि विभाग द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग सीधे उत्तरदायी होंगे।

10- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

11- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शा0सं0 ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी.सी-11 दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार ही सुनिश्चित किया जाए।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

12- केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर, जिसमें राज्य सराकर द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार की (Cash or Kind) सब्सिडी/सहायता अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक '2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास-27-सब्सिडी' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या ई-1/734/दस-2015 दिनांक 17.12.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-24/2015-2829(1)/58-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in